महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : सामान्य/32/2011/पार्ट-V/50292-395 दिनांक : 1-1-2019

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग के अधीन कारागृहों/बंदी खुला शिविर/महिला बंदी सुधारगृह का विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म/रिसर्च हेतु विभिन्न संस्थानों/व्यक्तियों/छात्रों द्वारा आवेदन किया जाता है। इन्हें कारागृहों का विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म/रिसर्च हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर कारागृह/बंदी खुला शिविर/महिला बंदी सुधारगृह की प्रशासनिक व्यवस्था एवं दैनिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न होता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11018/3/201 पीआर दिनांक 24.07.2015 के द्वारा कारागृहों के विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म/रिसर्च हेतु अनुमति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हुए है। (संलग्न)

कारागृह/बंदी खुला शिविर/महिला बंदी सुधारगृह का विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म/रिसर्च हेतु विभिन्न संस्थानो/व्यक्तियों/छात्रों को अनुमति दिये जाने पर प्रशासनिक व्यवस्था एवं दैनिक गतिविधियों में उत्पन्न व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुए यह विचार किया गया है कि कारागृह/बंदी खुला शिविर/महिला बंदी सुधारगृह के विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म/रिसर्च हेतु विभिन्न संस्थानो/छात्रों/व्यक्तियों द्वारा आवेदन किये जाने पर अनुमति दिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :

1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11018/3/201 पीआर दिनांक 24.07.2015 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत सामान्य मामलों में भारतीय नागरिकों को कारागृह/बंदी खुला शिविर/महिला बंदी सुधारगृह पर विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/रिसर्च हेतु विभिन्न संस्थानो/व्यक्तियों/छात्रों को महानिदेशक कारागार/अति. महानिदेशक कारागार/महानिरीक्षक कारागार द्वारा अनुमति प्रदान की जावेगी।
2. जिन मामलों में राज्य सरकार/महानिदेशालय कारागार से अनुमति की आवश्यकता हो वे मामले अधीक्षक/संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार की टिप्पणी/अनुशंसा के साथ गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के तहत राज्य सरकार को अग्रेपित किये जावे।
3. कारागृह/बंदी खुला शिविर/महिला बंदी सुधारगृह का विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म/रिसर्च हेतु एक माह में चार दिवस प्रत्येक सोमवार का दिवस निर्धारित किया जाता है, जो कि संबंधित अधीक्षक की टिप्पणी/अनुशंसा के आधार पर तिथि एवं समय निर्धारित किया जावे।
4. विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म/रिसर्च हेतु एक ग्रुप को एक साथ अनुमति दी जावे।
5. सुरक्षा व्यवस्था एवं कारागार नियमों की पालना करने की शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान की जावे।
6. विजिट/अध्ययन/भ्रमण/साक्षात्कार/डॉक्यूमैन्ट्री फिल्म/रिसर्च के दौरान मोबाईल व अन्य निषिद्ध सामग्री का कारागृह में प्रवेश वर्जित रहेगा।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
5. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
6. अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
7. अधीक्षक, बंदी खुला शिविर, सांगानेर, जयपुर।
8. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
9. प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
10 प्रभारी, कम्प्यूटर सैल को वास्ते विभागीय साईट पर अपलोड हेतु।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान, जयपुर